न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 116/2014

1. चरणकौर पत्नी जोगेन्द्रसिंह
2. सुच्चासिंह
3. स्वर्णसिंह
4. रणजीतसिंह
5. स्वर्णकौर
6. छिन्द्रकौर
7. महेन्द्रकौर
8. मनजीतकौर

पिसरान जोगेन्द्रसिंह जाति मजहबी निवासी 16 एफ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. लखवन्तसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति मजहबीसिख निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर जरिये मुखत्यार आम मेजरसिंह पुत्र लखनसिंह निवासी मटीलीराठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर । ––रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 08.12.2014

उपस्थित–

श्री ओमप्रकाश बतरा अभिभाषक अपीलार्थी

श्रीमती मन्जु गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 31.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/ रेस्पो. संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ.की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी के पिता

31/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

महेन्द्रसिंह व अप्रार्थी सं. 1 के पति व 2 से 8 के पिता नाजरसिंह के नाम से चक 16 एफ. बड़ा के मु.न. 55 में कुल 3.074 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, नाजरसिंह ने उपरोक्त तमाम रकबा निहालसिंह व मुखत्यार कौर को जरिये बैयनामा दिनांक 07.07.1969 को विक्रय कर दिया, कुछ समय बाद प्रार्थीगण के पिता द्वारा दिनांक 24.06.1970 को जरिये बैयनामा मुख्त्यार कौर से उक्त भूमि क्रय कर ली एवं कब्जा खरीद के दिन से प्रार्थी के पास चला आ रहा है जिसका इन्तकाल खरीददार ने अपने नाम से नहीं करवाया। अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि का विरासतन इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया एवं भूमि को बेचान करने की फिराक में है। यदि ऐसा करने में वे सफल हो गये तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति रखी जावे एवं अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा रहन, बैय आदि द्वारा मुन्तकिल नहीं करे।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। प्रार्थी का किसी प्रकार से मामला नहीं बनता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 08.12.2014 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है जिनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। नाजरसिंह द्वारा बेचान नहीं किया गया। नाजरसिंह अनुसूचित जाति का सदस्य है एवं निहासिंह सवर्ण जाति का सदस्य है। इसलिए ऐसा बेचान नहीं हो सकता था। अधी.न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक भूल की है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

3/1/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि रेस्पो. ने जरिये बैयनामा क्रय की हई है, कब्जा रेस्पो. का चला आ रहा है। अपीलार्थीगण ने विरासतन इन्तकाल अपने नाम से दर्ज करवा लिया जिसके आधार पर वे भूमि को आगे हस्तान्तरण की फिराक में है। यदि इस मकसद में वे सफल हो गये तो प्रार्थी/रेस्पो. के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। हर प्रकार से मामला प्रार्थी का बनता था। अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा अधी. न्यायालय में वाद के साथ प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में यह अंकित किया कि विवादित भूमि जरिये बैयनामा क्रय की है एवं कब्जा काश्त प्रार्थी का चला रहा है जबकि रेस्पो. ने बैयनामा से इन्कार किया है। बैयनामा सही है या नहीं, इसका निर्णय तो मूल वाद में तय होगा। विवादित भूमि का विरासतन इन्तकाल अपीलार्थीगण के पक्ष में हो चुका है, इस बाबत कोई विवाद नहीं है। किन्तु यदि विवादित भूमि का वाद के निर्णय से पूर्व हस्तान्तरण हो जाता है तो प्रार्थी/वादी के वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधी.न्यायालय ने प्रार्थी/रेस्पो. को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.12.2014 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर